कार्यालय राज्य परिवहन प्राधिकार, राजस्थान

संकल्प संख्या:01/2018 जयपुर, दिनांकः– 05.01.2018

विषयः– जयपुर नगरीय सीमा में राजस्थान लोक परिवहन सेवा की बसों को अधिसूचित बस स्टैण्ड पर ही ठहराव एवं शहर में आवागमन हेतु प्रस्तावित मार्ग का उपयोग सुनिश्चित करने बाबत्।

राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.58 (1) के खण्ड (ii) में उपलब्ध प्रावधानानुसार यह अपेक्षा की गयी है कि सार्वजनिक सेवा यानों द्वारा यात्रियों को उतारने या चढाने या दोनों के लिये किसी नगरपालिका अथवा ऐसी अन्य सीमाओं में विनिर्दिष्ट बस अड्डे या विराम स्थल का ही उपयोग किया जाए।
इस प्रयोजनार्थ राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.58 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस उपायुक्त, यातायात जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 3302–16 दिनांक 29.03.2016 के द्वारा, राजस्थान लोक परिवहन सेवा की मंजिली बसों के लिये जयपुर शहर में "न्यू आतिश मार्केट (गुर्जर की थडी) गेट नं. 2 दक्षिण साईड" स्थल को बस स्टैण्ड के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है।

इसी क्रम में पुलिस उपायुक्त यातायात जयपुर के पत्रांक 8804–05 दिनांक 20.09.2017 के द्वारा इन बसों के जयपुर शहर में प्रवेश व निकास हेतु रूट/मार्ग भी प्रस्तावित किये गये है, जो निम्नानुसार है:–

1. **आगरा की ओर से आने–जाने वाली बसें–** आगरा रोड, गोनेर मोड, खौ–नागोरियान, हनुमान तिराहा, जवाहर सर्किल, पुराना बाईपास, बी.टू बाईपास, न्यू सांगानेर रोड, किसान–धर्म कांटा, न्यू आतिश मार्केट।
2. **दिल्ली की ओर से आने–जाने वाली बसें:–**चन्दवाजी से एक्सप्रेस हाईवे, 200 फीट से बदरवास तिराहा, किसान धर्म–कांटा, न्यू आतिश मार्केट।
3. **कोटा की ओर से आने–जाने वाली बसें:–** पुराना बाईपास, बी.टू बाईपास, न्यू सांगानेर रोड, किसान धर्म–कांटा, न्यू आतिश मार्केट।
4. **अजमेर की ओर से आने–जाने वाली बसें:–**200 फीट से बदरवास तिराहा, किसान धर्म–कांटा, न्यू आतिश मार्केट।
5. **सीकर–झुंझुनू की ओर से आने व जाने वाली बसें:–** सीकर रोड, रोड नं. 14 से एक्सप्रेस हाईवे 200 फीट, बदरवास तिराहा, किसान धर्म–कांटा, न्यू आतिश मार्केट।

अतः राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.4 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, संबंधित नियमों की पालनार्थ एवं जयपुर शहर के बढते यातायात दबाव व दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आमजन को सुगम व सुरक्षित यातायात उपलब्ध करवाये जाने के दृष्टिगत सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार (समस्त) को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान लोक परिवहन सेवा की ऐसी बसे जो जयपुर से रवाना होती है/जयपुर पहुंचती है अथवा जयपुर से गुजरती हैं, के संबंधित (मौजूदा एवं भविष्य में जारी होने वाले) अनुज्ञापत्रों में उपरोक्तानुसार आवश्यक इन्द्राज किया जावे।

सदस्य
राज्य परिवहन प्राधिकार

Scanned by CamScanner

क्रमांक :–
प्रतिलिपि:– 459 – 464

जयपुर, दिनांक 05/01/18

1. पुलिस उपायुक्त (यातायात), जयपुर को निर्देश दिये जाते है कि राजस्थान मोटर वाहन अधिनियम 1990 के नियम 5.58 के उपनियम(2) की भी पालना करे।
2. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर को निर्देशित किया जाता है की पुलिस उपायुक्त (यातायात) से सामंजस्य स्थापित कर एसटीए के संकल्प की पालना सुनिश्चित की जावे।
3. सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार (समस्त)।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
5. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।।
6. रक्षित पत्रावली।

3/1/2018
सचिव
राज्य परिवहन प्राधिकार

Scanned by CamScanner